कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल औबेदुल्लागंज

O.Ganj Pincod No. 464993, E-mail dfooganj@mpforest.org,Fax No. 07480-224911, Phone No. 07480-224062

क्रमांक / सामान्य / 2645 औ.गंज / दिनांक 15-11-16

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक
भोपाल वृत्त भोपाल

विषयः– **वन अपराध प्रकरण क्रमांक 4111/20 दिनांक 12.05.13 रक्त चंदन प्रकरण में निवर्तन के संबंध में।**

संदर्भः– **परिक्षेत्राधिकारी चिकलोद का पत्र क्रमांक 1376 दिनांक 27.10.16 एवं उ.व.म.अ. औ.गंज का पत्र क्रमांक 1867 दिनांक 03.11.16**

---xx---

विषयांतर्गत निवेदन है, कि औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप के प्लाट न0 92 सेक्टर ए में ट्यूटर एण्ड विवर्स इण्डस्ट्रीज मंडीदीप में ट्रक क्रमांक एम.एच. 04–डी.एस. 5955 में भरा हुआ 13535.39 किलो ग्राम रक्त चंदन जप्त किया जाकर प्रकरण में लिप्त आरोपियो के विरुद्व माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गौहरगंज के यहां परिवाद प्रस्तुत किया गया है, जिसका आर.टी. न. 1380/14 है।

उक्त 13535.39 किलो ग्राम रक्त चंदन के निवर्तन हेतु माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गौहरगंज से परिक्षेत्राधिकारी चिकलोद द्वारा अनुमति आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक 18.10.16 तिथि नियत की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में धारा 52 (ग) को संदर्भित करते हुये, आदेशित किया गया है, कि उक्त चंदन के निर्वतन में कोई कब्जा, परिदान, व्ययन या वितरण के विषय में आदेश देने का अधिकारिता माननीय न्यायालय को नहीं है, आदेश प्रति संलग्न है।

अतः प्रकरण में म0प्र0 शासन वन विभाग बल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ./30–02/2015/10–3 भोपाल दिनांक 06.08.15 में निहित शर्ते के तहत प्रकरण में जप्त शुदा रक्त चंदन के निवर्तन की कार्यवाही कराने का अनुरोध है।

संलग्नः– उरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल औ0गंज

मुख्य व.स.भो.वृत्त, भोपाल
क्र. 9517
दिनांक 22/11

परीक्षण कर सत्यापित किया जाता है कि ... कार्यालय के 20759 ... कार्यवाही ...।

संलग्नाधिकारी

अधीक्षक

मु.व.स.

:: सत्य प्रतिलिपि ::

न्यायालय :– श्री विनोद अहिरवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज,

जिला रायसेन म0प्र0

सी0ए0क्र. 1604/16 प्र0क्र0 1380/17

शासन विरूद्ध मु.शोफ एवं अन्य

II—155
C.J. (E)

ORDER SHEET

THE COURT

1380 of 2017

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
18/10/16	राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित नही। वन परिक्षेत्र चिकलोद की ओर से श्री नवीन भारद्वाज, डिप्टी रेंजर, उपस्थित। अभियुक्त मुसीफ, राजेन्द्रन, रमेश प्रसाद स्वयं उपस्थित। अभियुक्त सैयद इब्राहिम अनुपस्थित उसकी ओर से श्री जे. पी. चतुर्वेदी, अधिवक्ता, उपस्थित। अनुपस्थित अभियुक्त का हाजिरी माफी आवेदन पेश, बाद विचार स्वीकार। अभियुक्त कासिफ मुस्तफा अनुपस्थित उसकी ओर से सुश्री खतीजा हसन, अधिवक्ता ने अनुपस्थित अभियुक्त का हाजिरी माफी आवेदन पेश किया, बाद विचार स्वीकार। अभियुक्त अरुण मणि अनुपस्थित उसकी ओर से सुश्री आर. सिददीकी, अधिवक्ता, ने अनुपस्थित अभियुक्त का हाजिरी माफी आवेदन पेश किया, बाद विचार स्वीकार। अभियुक्त विजय सेम्पा रेडडी एवं राजा रेडडी पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आरोपीगण की उपस्थिति हेतु नियत है। आरोपी विजय सेम्पा रेडडी को जारी गिरफतारी वारंट इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि अभियुक्त जिला करनूल की उपजेल आलागडडा आंध्रप्रदेश में अन्य प्रकरण में जेल में निरुद्ध है। उक्त अभियुक्तगण के संबंध में वनविभाग द्वारा इस आशय का आवेदन एवं पंचनामा प्रस्तुत किया है कि उक्त आरोपीगण की गिरफतारी हेतु टीम गठित कर हैदराबाद में तामील के प्रयास किए गए तथा आरोपी विजया सेम्पा रेडडी की पुष्टि जी विजया सिम्हा रेडडी वल्द सुभाष रेडडी निवासी येरागुडडीनी समीप नांदियाल जिला कुरनूल आंध्रप्रदेश के रूप में हुई है जो कि अन्य पुलिस आपराधिक प्रकरणों में उपजेल आलागडडा मे बंद है जिसकी जानकारी उपजेलर आलागडडा आंध्रप्रदेश से लिखित में प्राप्त की गई है। उक्त आवेदन एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के	मुसीफ (मुसीफ) (राजेन्द्रन) रमेश प्रशाद आरोपी विजया सिम्हा रेड्डी का गि. वारंट प्राप्त N K Bhardwaj RA Gogay

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियुक्त विजय सिम्हा रेडडी जिला करनूल की उपजेल आलागडडा आंध्रप्रदेश मे निरुद्ध है, अतः उसके विरुद्ध प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा अभियुक्त राजा रेडडी को जारी गिरफतारी वारंट इस टीप के साथ पचनामा सहित वापस प्राप्त कि वारटी निजी व्यवसाय से आस्ट्रेलिया में वर्तमान मे निवासरत है। प्रकरण मे अभियुक्त के संबध में प्रस्तुत पंचनामा एवं संलग्न आवेदन प्रकरण में सलग्न किए गए।

आदेश पत्रिका दिनांक–30/01/16 के अनुसार अभियुक्त विजय सेम्पा रेडडी एवं राजा रेडडी के विरुद्ध उदघोषणा जारी की गई थी और उक्त उदघोषणा का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में कराए जाने के आदेश दिए गए थे किन्तु उक्त उदघोषणा प्रकाशित हुई है इस संबध में वन विभाग द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। अभियुक्त राजा रेडडी के विरुद्ध पूर्व मे जारी गिरफतारी वारंट भी इस टीप के साथ वापस प्राप्त हुआ है कि अभियुक्त वर्तमान पते पर निवासरत नहीं है जिससे प्रकट होता है कि उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना भी कम है। ऐसी स्थिति मे अभियुक्त राजा रेडडी को फरार घोषित किया जाता है और अभियुक्त राजा रेडडी के विरुद्ध स्थाई गिरफतारी वारंट जारी किया जावे तथा यहा यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि यदि अभियुक्त राजा रेडडी की अनुपस्थिति के दौरान गवाहो का परीक्षण किया जाता है तो उक्त साक्षियो की साक्ष्य धारा-299 द.प्र.स. के अध्यधीन रहते हुए पढी जावेगी।

इसी प्रकार वनविभाग द्वारा उक्त अनुपस्थित आरोपीगण की सम्पत्ति के संबध मे कोई जानकारी नहीं दी गई है।

इसी प्रक्रम पर श्री नवीन भारद्वाज, डिप्टी रेंजर द्वारा व्यक्त किया कि पूर्व में चंदन के निवर्तन हेतु आवेदन दिया गया था, उस पर विचार किया जावे।

आवेदन विचार में लिया गया।

उभयपक्ष को सुना गया।

वनविभाग द्वारा दिनांक–02/09/16 को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया था कि इनके विभाग द्वारा दिनाक–12/05/13 को आरोपी मुसीफउददीन से ट्रक कमांक–एम एच 04 डी एस 5955 मय रक्त चंदन के 12935 किग्रा. जप्त किया गया था जिसके संबंध मे दिनांक–14/10/14 को परिवाद प्रस्तुत किया गया था तथा प्रकरण के आरोपी विजय सेम्पा रेडडी एवं राजा सेम्पा रेडडी फरार है, उक्त वन अपराध प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी एवं उपवनमण्डलाधिकारी उपवनमंडल औबेदुल्लागंज द्वारा दिनांक–31/01/14 को जप्त रक्त चंदन एवं ट्रक कमांक–एम एच 04 डी एस 5955 के शासन पक्ष में राजसात के आदेश पारित किए गए हैं, जिसके तारतम्य में उक्त रक्त चंदन को आंध्रप्रदेश वन विभाग

Order Sheet [Contd]

Case No. 138/20 14

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	को वापस करने के निर्देश वल्लभ भवन से जारी किए गए हैं तथा प्रकरण में जप्तशुदा चंदन के निवर्तन की कार्यवाही शेष है एवं ऐसी स्थिति में जप्तशुदा सम्पत्ति को आंध्रप्रदेश स्थित डिपो में परिवहन एवं निवर्तन हेतु अनुमति प्रदान किए जाने की सहायता चाही है तथा समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी एवं उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा की गई राजसात कार्यवाही का आदेश, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मध्यप्रदेश शासन वनविभाग वल्लभ भवन तथा भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग से संबंधित आवेदन की फोटोप्रतियॉ प्रस्तुत की गई हैं। आवेदन पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि वनपरिक्षेत्र चिकलोद वनमंडल औबेदुल्लागंज द्वारा वनअधिनियम 1927 की धारा–41 एवं मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) परिवहन नियम 2000 नियम 3/22 तथा लोक सम्पत्ति क्षतिपूर्ति निवारण अधिनियम 1986 नियम 03 के अधीन वन प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें अभियुक्त विजय सिम्हा रेडडी एवं राजा रेडडी अनुपस्थित हैं जिनकी उपस्थिति हेतु प्रकरण नियत होता चला आ रहा है। वन विभाग द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न राजसात की कार्यवाही के संबंध में जो दिनांक–31/01/14 के आदेश की फोटोप्रति के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रकरण में जप्तशुदा ट्रक कमाक–एम एच 04 डी एस 5955 मय वनोपज रक्त चंदन वनज 12935 किग्रा. शासन की सम्पत्ति घोषित की गई है तथा वनपरिक्षेत्र अधिकारी को अपील अवधि पश्चात निवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु पृथक से निराकरण करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं अर्थात प्रकरण में जप्तशुदा चंदन के संबंध में वनविभाग द्वारा राजसात की कार्यवाही की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में धारा–52ग भारतीय वन अधिनियम, 1927 अवलोकनीय है जिसमें बताया गया है कि "उस अपराध का, जिसके कारण उस सम्पत्ति का अभिग्रहण किया गया है जो कि अधिहरण की विषय वस्तु है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को, सम्पत्ति के अभिग्रहण के लिए कार्यवाहियॉं शुरू की जाने के बारे में धारा–52 की उपधारा–4 के अधीन सूचना के प्राप्त हो जाने पर किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी (जो धारा–52, 52–क, 52ख में निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी, अपील अधिकारी या सेशन	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	न्यायालय से भिन्न हो) को इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात होते हुए भी, उस सम्पत्ति के कब्जे, परिदान, व्ययन या वितरण के विषय में कोई आदेश करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसके बारे में धारा–52 में अधिहरण की कार्यवाहियॉ शुरू हो गई हैं। उपरोक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य मे विचार किया गया। वनविभाग द्वारा जप्तशुदा रक्तचंदन की राजसात की कार्यवाही की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में अब धारा–52 ग के अनुसार रक्तचंदन के निवर्तन के संबंध में कोई कब्जा, परिदान, व्ययन या वितरण के विषय में आदेश देने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है, परिणामतः उपरोक्तानुसार आवेदन का निराकरण किया जाता है। अभियुक्त विजया सिम्हा रेडडी को प्रोडक्शन वारंट के माध्यम से तलब किया जावे। प्रकरण अभियुक्त विजय सिम्हा रेडडी की उपस्थिति हेतु दिनांक–08/12/16 को पेश हो। (हस्ताक्षर) विनोद अ[illegible] न्यायिक [illegible] प्रथम श्रेणी गौहरगंज जिला रायसेन (म.प्र.)	

सत्य-प्रतिलिपि

प्रभारी अधिकारी
[illegible] अनुविभाग

2.
3.
4.
5. आवेदक [illegible] होने की दिनांक — 26-10-16 / 27-10-16
6. आवेदक को [illegible] विवरण [illegible]
[illegible] करने की [illegible]
[illegible] की दिनांक — 27-10-16
[illegible] देने या भेजने की दिनांक — 27-10-16
[illegible] — निःशुल्क

16-10-16
3-11-16
2-12-16

[illegible] प्रतिलिपिकर्ता प्रभारी अधिकारी